

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, राजगढ़


सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 17 विन्दूओं की जानकारी

विन्दू कं-1:—जिला कार्यालय राजगढ़ में संरचनात्मक ढांचा निम्नानुसार है।

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी	01
2	सहायक ग्रेड-1	01
3	सहायक ग्रेड-2	01
4	आडिटर	01
5	सहायक ग्रेड-3	02
6	भृत्य	02
7	चौकीदार	01

विन्दू कं-2:—कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम पद नाम कर्तव्य तथा परिलब्धियां संबंधी जानकारी।

क्र.	अधिकारी का नाम	पद	परिलब्धियां	कर्तव्य
1	श्रीमती शैल श्रीवास्तव	जिला कार्यक्रम अधिकारी	11950/-	प्रमुख के रूप में समस्त कार्यालयीन शाखाओं/अधीनस्थ विकास खन्डीय कार्यालयों की कार्य गतिविधियों का सुचारु संचालन/आंगनबाडी प्रशिक्षण केन्द्र राजगढ़ की प्रमुख।

विन्दू कं-3:—जिला कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्माण प्रक्रिया।

कार्यालय में सुसंबंधित शाखा प्रभारी द्वारा नस्ती सीधे कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ स्वीकृति एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है । विकासखण्ड स्तर कार्यक्रम आदि की जानकारी सीधे जिला कार्यक्रम अधिकारी को रिपोर्टिंग की जाती है ।

बिन्दु क्रमांक-4

कार्यालय के द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी मापदण्ड तय किये जाने संबंधी जानकारी :-

- | | |
|---|--|
| 1. अधिकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि | नियमित रूप से देय तिथि को । |
| 2. सूचना के अधिकार | नियमानुसार शुल्क जमा होने की तिथि से 7 दिवस के अंदर |
| 3. पोषण आहार बी.पी.एल. गेहू की मांग | समस्त परियोजना अधिकारियों के मांग पत्र अनुसार |
| 4. पोषण आहार महिला एस.एच.जी. के देकयकों का भुगतान | समस्त परियोजना अधिकारियों के माध्यम से एस.एच.जी के देयक प्राप्त होने के उपरान्त । |
| 5. अनुदान स्वीकृति | संस्थाओं से प्राप्त प्रयोजन के आधार पर वित्तीय वर्ष में दो से चार किष्टों में अनुदान स्वीकृत एवं भुगतान किया जाता है । |

बिन्दु क्र. 5

कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम, नियम, रेगुलेशन, मैनुअल की सूची :-

- | | |
|----------------------------------|------|
| 1. सुविधा हैण्ड बुक 2004 | |
| 2. शासकीय कर्मचारी नियम तथा आदेश | 1999 |
| 3. म.प्र. वित्तीय संहिता | 2000 |
| 4. यात्रा भत्ता नियम | 2005 |
| 5. वित्तीय शक्ति पुस्तिका | 2004 |
| 6. सिविल सेवा नियम | 2004 |
| 7. महिलाओं के कानूनी अधिकार | 1999 |

बिन्दु क्रमांक 6

कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा वर्गीकरण :-

1. रोकड पुस्तिका
2. डिमाण्ड ड्राफ्ट रजिस्टर
3. बैंक एडवाइज रजिस्टर
4. अग्रिम रजिस्टर
5. एक्यूटेन्स रजिस्टर
6. सेवा पुस्तिकाये(समस्त कर्मचारी)
7. सामान्य भविष्य निधि पुस्तिकाये(समस्त कर्मचारी)
8. आवक पंजी
9. जावक पंजी
10. स्टेम्प पंजी
11. बर्दा प्रदाय पंजी
12. अधिकारी/कर्मचारी अवकाश पंजी
13. डेड स्टाक पंजी
14. स्टेशनरी(लेखन) पंजी
15. निविदा कय पंजी

16. विधान सभा/लोक सभा पंजी

बिन्दू कं.-7

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास राजगढ में परामर्शदात्री समिति नहीं है।

बिन्दू कं.-8:-

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग राजगढ में “ महिला यौन उत्पीडन” का बोर्ड एवं समिति का गठन किया गया है।

बिन्दू कं.-9 एवं 10:-

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग राजगढ(ब्यावरा) म.प्र. में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी:-

क्र.	कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के नाम	पदनाम	वेतन	प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें
1	श्रीमती शैल श्रीवास्तव	जि.का.अधि.	11950 / -	
2	श्री सोहन लाल गर्ग	लेखापाल	6000 / -	
3	श्री शिव कुमार विजयवर्गीय	स.ग्रेड-3 (आडीटर पद के विरुद्ध)	5100 / -	
4	श्री बाला प्रसाद मेहर	स.ग्रेड-3	3350 / -	
5	श्री गोपाल सिंह जाट	भृत्य	3345 / -	वर्दी एवं धुलाई भत्ता
6	श्री सुरेशचन्द्र तिवारी	भृत्य	3345 / -	वर्दी एवं धुलाई भत्ता
7	श्री गोविन्द प्रसाद भिलाला	चौकीदार	3020 / -	वर्दी एवं धुलाई भत्ता

बिन्दू कं.-11:-

कार्यालय के लिये वर्षानुसार मदवार बजट आबंटन तथा उसके उपयोग संबंधी जानकारी वर्ष 2006-07 बजट आबंटन का व्यय पत्रक मांग संख्या 55/2235/9041

व्यय शीर्ष		प्राप्त आबंटन	व्यय(सितम्बर 06)	शेष आबंटन
शीर्ष	मद			
11-001	वेतन	400000	216452	183548
11-003	मंहगाई भत्ता	248000	140324	107676
11-006	आवास भत्ता	0	0	0
11-008	अन्य भत्ता	12000	5096	6904
11-009	चिकित्सा व्यय	1000	0	1000
11-016	अनाज अग्रिम	1000	1000	0
12	मजदूरी	500	0	500
21-001	यात्रा व्यय	10000	0	10000
22-001	डाक एवं तार	1000	1000	0

22-002	दूरभाष व्यय	5000	4949	51
22-004	पुस्तक एवं पत्रिकायें	0	0	0
22-005	बिजली एवं जल प्रभार	6000	5699	301
22-006	वर्दियां	3000	0	3000
22-007	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	10000	10000	0
22-009	पेट्रोल,तेल,आईल	25000	13902	11098
34-009	सामग्री पूर्ति अन्य	0	0	0
37	मेला,उत्सव, प्रदर्शनी	2000	0	2000

मांग संख्या :-55-2236-9050

शीर्ष	प्राप्त आवंटन	व्यय	शेष आवंटन
न्यूनतम आवश्यकता विशेष पोषण आहार योजना	16247000	10275838	5971162

मांग संख्या :-55-2236-9050-12

मजदूरी	163000	96296	66704
--------	--------	-------	-------

मांग संख्या :-55-2235-0101-7909

अतिगरीब गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता योजना	50000	40500	9500
--	-------	-------	------

मांग संख्या :-64-2235-0103-7909

अतिगरीब गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता योजना	200000	83000	117000
--	--------	-------	--------

मांग संख्या :-41-2235-0102-7909

अतिगरीब गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता योजना	170000	16500	153500
--	--------	-------	--------

मांग संख्या :-55-2235-103-0101-9944

महिला जाग्रति शिविर	20000	15000	5000
---------------------	-------	-------	------

मांग संख्या :-41-2235-103-0102-9369

महिला जाग्रति शिविर	10000	8000	2000
---------------------	-------	------	------

मांग संख्या :-64-2235-103-0103-9569

महिला जाग्रति शिविर	30000	25000	5000
---------------------	-------	-------	------

मांग संख्या :-41-2235-107-0102-6847

शीर्ष	प्राप्त आवंटन	व्यय	शेष आवंटन
महिला एवं बाल कल्याण हेतु विविध अनुदान	100000	21000	79000

मांग संख्या :-55-2235-107-0101-6847

महिला एवं बाल कल्याण हेतु विविध अनुदान	200000	63300	136700
--	--------	-------	--------

मांग संख्या :-64-2235-107-0103-6847

महिला एवं बाल कल्याण	336000	47300	288700
----------------------	--------	-------	--------

हेतु विविध अनुदान			
-------------------	--	--	--

मांग संख्या :-64-2235-4990

आयुष्मति योजना	355000	46702	308298
----------------	--------	-------	--------

मांग संख्या :-41-2235-4990-42-007

आयुष्मति योजना	400000	3607	363093
----------------	--------	------	--------

मांग संख्या :-55-2235-8145

आयुष्मति योजना	120000	118824	1176
----------------	--------	--------	------

बिन्दु क्रमांक 11

बजट आवंटन तथा उसके उपयोग संबंधी जानकारी :-

- अ. पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत महिला एस.एच.जी. को बी.पी.एल. गेहू प्रदाय किया जाना है । महिला एस.एच.जी. द्वारा पोषण आहार (दलिया) निर्माण कर आवंटित ए.डब्लू.सी. पर पोषण आहार प्रदाय किया जाता है । (मांग संख्या- 55-2236-9050-34-004) मांग संख्या 55-2236-9050-12 में चौकीदार (दे.वे.भो.) को मजदूरी प्रतिमाह भुगतान की जा रही है ।
- ब. अतिगरीब गर्भवति महिलाओं को प्रसव पूर्व आर्थिक सहायकता योजना, आयुष्मति योजना के अंतर्गत विकासखण्ड तथा जिला स्तर पर पात्र एवं चयनित हितग्राहियों को नियमानुसार लाभांशित किया जाता है । (मांग संख्या अनुसार)
- स. महिला एवं बाल कल्याण हेतु विविध अनुदान : जिले में मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को उनके द्वारा संचालित गतिविधियों हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक 12

विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची, हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

1. पोषण आहार कार्यक्रम
2. अतिगरीब गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व सहायता योजना
3. राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना
4. बालिका समृद्धि योजना
5. आयुष्मति योजना
6. किशोरी शक्तियोजना
7. बाल संजीवनी अभियान
8. समेकित बाल विकास सेवा योजना
9. दत्तक पुत्री शिक्षा योजना
1. **पोषण आहार कार्यक्रम :-** पोषण आहार कार्यक्रम अन्तर्गत संचालनालय म.बा.वि. भोपाल से आई.सी.डी.एस. मद का बी.पी.एल. गेहू का कोटा आवंटित किया जाता है जिला स्तर से संबंधित विकास खण्ड में कार्यरत महिला एस.एच.जी को पोषण आहार निर्माण हेतु बी.पी.एल. गेहू उपलब्ध कराया जाता है तथा महिला एस.एच.जी. द्वारा सी.डी.पी.ओ. द्वारा आवंटित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषण आहार प्रदाय किया जाता है वर्तमान में 11 महिला एस.एच.जी. द्वारा जिले के 903 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है ।

2. **अतिगरीब (महिला) गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व सहायता योजना** :- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2005 से अति गरीब परिवार की गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व सहायता के रूप में राशि रूपये 500/- प्रदान करने की नवीन योजना स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत अन्त्योदय योजना अन्तर्गत पीला राशन कार्ड धारी परिवार की 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिला को प्रथम दो प्रसव पर योजना का लाभ लेने की पात्रता रहेगी यह योजना ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में लागू है।
3. **राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना** :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को गर्भावस्था के समय चिकित्सीय एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना है योजना अन्तर्गत गर्भवती महिला की उम्र 19 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिये तथा वह गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की हो। सहायता राशि रूपये 500/- दी जाती है जो प्रसव के 8-12 सप्ताह पूर्व एक मुश्त देने का प्रावधान है, केवल प्रथम दो जीवित जन्म तक ही सहायता राशि दी जाती है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र गर्भवती महिला को आवेदन देना होता है, ग्रामीण क्षेत्र में यह आवेदन पत्र ग्राम पंचायत को तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका या नगर पंचायत को दिया जाता है आवेदन की जांच के बाद महिलाओं को राशि मंजूर की जाती है।
4. **बालिका समृद्धि योजना** :- इस योजना में 15 अगस्त 1997 को या पश्चात् जन्म लेने वाली शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार में जन्म लेने वाली प्रथम दो बालिकाओं को ही लाभ दिया जाता है। योजनान्तर्गत उक्त बालिकाओं को 500/- रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। बालिका के शाला जाना प्रारंभ करने पर शिक्षा के प्रत्येक सफल वर्ष के लिये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है।
5. **आयुष्मति योजना** :- यह ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवारों की महिलाओं के लिये उपचार योजना है। चिकित्सालय में ग्रामीण क्षेत्र की भूमि हीन परिवार महिला/बालिका भर्ती होकर अपना इलाज कराती है उसे साधारण या कम बीमारी के लिये (एक सप्ताह तक भर्ती रहने पर) रूपये 1000/- प्रति मरीज की दर से सहायता उपलब्ध कराई जाती है यह सहायता नगद न दी जाकर दवायें पौष्टिक खाद्य सामग्री जैसे फल टानिक आदि के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।
6. **किशोरी शक्ति योजना** :- यह योजना अक्टूबर 2001 से प्रारंभ की गई है। 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य की देखभाल संतुलित भोजन व आर्थिक स्वालंबन हेतु जिले के समस्त बाल विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाकर प्रशिक्षण में 18 किशोरी बालिकाओं का चयन कर उनका 3 दिवसीय प्रशिक्षण पर्यवेक्षक ए.एन.एम. तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिया जाता है।
7. **बाल संजीवनी अभियान** :- 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण निदान एवं बचाव के लिये संचालित बाल संजीवनी अभियान अन्तर्गत 0-5 वर्ष तक के समस्त बच्चों का पोषण स्तर ज्ञात करने एवं कुपोषित बच्चों की पहचान के लिये वर्ष 2001 में एक वर्ष में दो बार समस्त ग्रामों में वजन मेलों का आयोजन किया जाता है, बच्चों के आयु अनुसार वजन के आधार पर पोषण स्तर वर्गीकरण (ग्रेडिंग) की जाती है ग्रेड 1 व 2 में कुपोषित बच्चों के पालकों को पोषण स्तर सुधार के लिये आवश्यक समझाईश दी जाती है। ग्रेड 3 एवं 4 के अति कुपोषित बच्चों के लिये विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक दवाईयां नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती है इन बच्चों के लिये विशेष पौष्टिक आहार बनवाकर भी वितरित किया जाता है।

8. **समेकित बाल विकास सेवा योजना** :- आई.सी.डी.एस. योजना के मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों को समूचित पूरक पोषण आहार प्रदाय कर स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना उनके मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिये उचित आधार प्रदान करना कमजोर वर्ग की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को आंगनबाडी के माध्यम से लाभान्वित करना है इसके लिये समन्वित रूप से निम्न सेवायें आंगनबाडी केन्द्रों में दी जाती है।

1. पूरक पोषण आहार
2. स्वास्थ्य जांच
3. प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल/परामर्श सेवाये
4. टीकाकरण
5. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
6. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा

इस योजना के तहत जिले में संचालित आंगनबाडी केन्द्र :-

क्र0	परियोजना	कुल स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र	कुल संचालित आंगनबाडी केन्द्र
1	राजगढ़	172	172
2	ब्यावरा	147	147
3	नरसिंहगढ़	190	190
4	सांरगपुर	140	140
5	खिलचीपुर	121	121
6	जीरापुर	133	133

9. **दत्तक पुत्री योजना** :- इस योजनान्तर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है अभिभावकों में बालिका शिक्षा के प्रति चेतना जागृत, समाज में जागरूकता पैदा करना और बालिका शिक्षा में समाज को समाज को सहभागी बनाना है ऐसी बालिकायें जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल की छात्राएं गरीबी या किन्ही अन्य कारणों से स्कूल नहीं जा पा रही है उनका चयन स्कूल के प्रधान अध्यापक, प्राचार्य महिला बाल विकास के पर्यवेक्षकों तथा आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा किया जाकर स्थानीय लोगों को इन बालिकाओं को दत्तक लेने के लिये प्रेरित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति एक या अधिक बालिकाओं को उनकी शिक्षा के लिये दत्तक ले सकता है ऐसे व्यक्ति को प्राथमिक स्कूल की छात्राओं को 30/- रुपये महिना देना होता है यह राशि दस माह के लिये एक मुश्त होती है।

बिन्दु क्रमांक 13

- अ. जिले की समस्त आंगनबाडी केन्द्रों पर पात्र हितग्राहियों (गर्भवती/घात्री एवं 0-6 वर्ष के बच्चों) को प्रति माह पोषण आहार कार्यक्रम अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है जिसका मूल्यांकन प्रतिमाह संबंधित विकास खण्डों के सी.डी.पी.ओ. एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाता है वास्विक हितग्राहियों की सूची आंगनबाडी केन्द्रों पर तथा परियोजना स्तर पर संधारित की जाती है।
- ब. विभाग में संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर से प्रसारित निर्देशों के अनुरूप विकास खण्ड के परियोजना अधिकारी के माध्यम से किया जाता है, योजना अन्तर्गत पात्र एवं चयनित हितग्राहियों को विकास खण्ड स्तर से लाभान्वित किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 14

1. स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान स्वीकृति आदेश की प्रति
2. संस्था के स्टेटमेंट आफ एकाउण्ट्स
3. सामग्री स्पेसीफिकेशन्स की प्रतिलिपि
4. निविदा के दस्तावेजों की प्रतिलिपि जो कार्यालय द्वारा तैयार की गई है।
5. क्रय की गई सामग्री के व्हाउचर्स आदि।

बिन्दु क्रमांक 15 आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाएँ :-

1. पुस्तकालय — नहीं है
2. पब्लिक काउन्टर — नहीं है

किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार की विभाग से सूचना प्राप्त करने हेतु कार्यालय में सम्पर्क करने पर जानकारी नियमानुसार संबंधित शाखा द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

बिन्दु क्रमांक 16 लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी :-

श्रीमति शैल श्रीवास्तव
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
कार्यालय कलेक्ट्रोरेंट भवन राजगढ़ (ब्यावरा)
दूरभाष क्रमांक कार्यालय 07372-255083
दूरभाष क्रमांक निवास 07372-254710

बिन्दु क्रमांक 17 अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका संबंध आम नागरिक हो तो

-----निरंक-----